संख्य-20/2015/767/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 30 मार्च 2015

विषयः. वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2225 मं अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की बचतों से 07-मानदेय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2028/स0क0/विकास/आई0ए0एस/पी0सी0एस0 कोचिंग/बजट/2014-15 दिनांक 13-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की बचतों से 07-मानदेय मद मं रू0-31.00 लाख (रू0 इकत्तीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-.

1. उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकारए उ0प्र0, इलाहाबाद को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक- 2225- अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-08- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र-07 मानदेय हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बी0एम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-518/दस-2015 दिनांक-28 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2015/767/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मुख्यकोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग लखनऊ।

3 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ

4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5 निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

6 गार्डफाइल इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रपत्र- बी0एम-9 (हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा जारी किया जायेगा
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2225-01-789-00- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण- 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 08- अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 00-					
01- वेतन	2000	1900	1500	1500	500
03- मंहगाई भत्ता	2100	2000	1600	1600	500
योग	**4100**	**3900**	**3100**	**3100**	**1000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक-15 डिजिट में आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध् अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यासित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण् के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-01-789-00-12 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष् घटक योजना 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 00- 07- मानदेय	2000	5100	3100	3100	5100
योग	**2000**	**5100**	**3100**	**3100**	**5100**

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

क आवश्यकता के अनुसार बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

क. मानक मद में राज्य सरकार की वचनबद्धता देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड्ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है:-

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 एवं 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-664/ई-दस-2015 दिनांक 30 मार्च, 2015

सेवा मे

महालेखाकार लेखा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबादा

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2015/767/26-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

7- सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।